न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.) Gcms-2024/894

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. 203/2024 वाद पत्र हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विक्रम कुमार v/s अणची वगै.	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.9.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0 पीठासीन अधिकारी दौरे पर है पत्रावली एवं [illegible] दिनांक 24.9.25 को पेश हो। [signature]	
24/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 08.10.2025 को पेश हो। [signature] राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
08/10/2025	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत वादपत्र से संबंधित अन्य वादपत्र उनवानी विक्रम कुमार बनाम अणची वगै0 मु0 सं0 204/2024 जिसमें विवादित आराजी भिन्न हैं, के साथ ही एक ही विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश कर दिया गया हैं। अतः दोनो वादपत्र में भिन्न विवादित भूमि हेतु अलग–अलग विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव एवं संबंधित वादपत्र उनवानी विक्रम कुमार बनाम अणची वगै0 मु0 सं0 204/2024 का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर मनन किया गया। चूंकि हस्तगत वादपत्र एवं अन्य संबंधित वादपत्र उनवानी विक्रम कुमार बनाम अणची वगै0 मु0 सं0 204/2024 में अंकित विवादित आराजी भिन्न हैं लेकिन पक्षकार दोनों विवादित आराजी में लगभग समान हैं जिस कारण अलग–अलग आराजी में विवादित पक्षकारान का अलग–अलग खाता विभाजन किया जाना सम्भव नही हैं क्योंकि दोनो विवादित भूमियां एक ही परिवार के सदस्यों की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:39:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में
	हैं जिस कारण बंटवारे के उक्त वादपत्रों में एक पक्षकार को बंटवारे में एक ही आराजी में खातेदार काश्तकार बनाया जाना हैं जबकि दूसरी विवादित आराजी से उक्त एक पक्षकार का नाम हटाया जाना हैं जिस कारण तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा उक्त दोनो वादपत्र की विवादित भूमियों बाबत एक ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर भिजवाया गया हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:39:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. विक्रम कुमार कुमावत पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद कुमावत जाति कुम्हार निवासी मावण्डाकलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. अणची पत्नि पोखर जाति माली वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 203 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री राजेन्द्र गोठवाल एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री रोशनलाल अग्रवाल, श्री अड़ीसाल मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज......................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 08 माह 10 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत...........
हाकिम...........

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:39:25 IST
Reason: SelfAttested